न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 15 / 2023

उनवान

1. हरिप्रसाद पुत्र घीसा

2. रामशरण पुत्र घीसा

समस्त व्यस्क, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम छापुडा कलां, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०) – प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रभात पुत्र नन्दा

2. कमली देवी पुत्री प्रभू

3. धूडाराम पुत्र प्रभू

4. बंशीधर पुत्र प्रभू

5. मन्नी देवी पत्नि प्रभू

6. मानसिंह पुत्र प्रभू

7. मिश्री देवी पुत्री प्रभू

8. रामचन्द्र पुत्र प्रभू

9. रामेश्वर प्रसाद पुत्र प्रभू

10. सुरजा राम पुत्र प्रभू

11. धूडाराम पुत्र मांगू

12. सीताराम पुत्र मांगू

13. हीराराम पुत्र मांगू

14. गल्ली देवी पत्नि हरनाथ

15. पतासी पुत्री भग्गुराम

16. पूरण पुत्र हरनाथ

17. फूली देवी पत्नी भग्गूराम

18. बाबूलाल पुत्र भग्गूराम

19. बिदामी पत्नी फूलचन्द

20.भैरू पुत्र हरनाथ

21. मीरा देवी भग्गूराम

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

22 लेखराज पुत्र फूलचन्द

23. विकास पुत्र फूलचन्द

24. संतोष पुत्र भग्गूराम

25. सुरजाराम पुत्र हरनाथ

26. मेवाराम पुत्र श्योदान

27. धोली देवी पत्नि बंशीधर

28. आशा देवी पुत्री बीरबल

29. गुड्डी देवी पुत्री बंशीधर

30. गोदी देवी पत्नि मूलचन्द

31. धीरज पुत्र बंशीधर

32. पप्पूराम पुत्र मूलचन्द

33. भंवरलाल पुत्र छोटू

34. मन्नी देवी पत्नि बीरबल

35. राजाराम पुत्र मूलचन्द

36. संदीप पुत्र बंशीधर

37. सुभाष चन्द पुत्र बीरबल

38. हरिराम पुत्र बीरबल

39. उगन्ता पुत्री सुल्तान

40. ख्यालीराम पुत्र प्रभू

41. गोपी पुत्र परता

42. जगदीश पुत्र नारायण

43. डालूराम पुत्र नारायण

44. धूड़ी देवी पुत्री भंवरा

45. पप्पूडी देवी पुत्री भंवरा

46. प्रकाश पुत्र शिवपाल

47. प्रहलाद सहाय पुत्र भंवरा

48. फूली देवी पत्नि भंवरा

49. बलदेव पुत्र प्रभू

50 बाबूलाल पुत्र भंवरा

51. मुकेश कुमार पुत्र भंवरा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

52 मुन्ना राम पुत्र शिवपाल

53 मनोज कुमार पुत्र सुल्तान

54. ममता पुत्री सुल्तान

55. महेश कुमार पुत्र कानाराम

56. राजू देवी पुत्री भंवरा

57. रामकुमार पुत्र भंवरा

58. लाडा देवी पत्नि सुल्तान

59. शंकर लाल पुत्र प्रभू

60. शिवकरण पुत्र रामदेव

61. संज्या पत्नि शिवपाल

62. सुनील पुत्र सुल्तान

63. सुभाष चन्द पुत्र भंवरा

64. सीताराम पुत्र सोना

65. हनुमान पुत्र नाथ्या

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम छापुडा कलां, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर। (राज०)

66. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तह0–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०)

–अप्रार्थीगण

67. जगदीश पुत्र स्व० घीसा

68. प्रहलाद पुत्र स्व० घीसा

69. सीताराम पुत्र स्व० घीसा

70. सज्या पत्नि स्व० घीसा

समस्त व्यस्क, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम छापुडा कलां, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक –04/04/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी ख0 न0 277/0.77 है0 भूमि वाकै ग्राम छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण सं0 01 लगायत 02 रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। प्रार्थीगण भूमि जोत में पहुच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी सं0 01 लगायत 65 के आराजी ख0 न0 276, 279, 280, 281, 282, 289, 290, 291, 292 की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है। आराजी ख0 नं0 653 गै0 मु0 रास्ता छापुडाकलां से नाकावाली की ढाणी में मुख्य सडक से उत्तर में हाल ख0 न0 283, 286, 287 में

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उत्तर दक्षिण सीसी रोड बना हुआ है जो वर्तमान में चालु है जिसके पश्चिम में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0 न0 277/0.77 है0 वाकै ग्राम छापुडा कलां में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए ख0 नं0 289, 282, 290, 291, 292, 276 की भूमि में से रास्ता ख0 न0 277 में आने जाने के लिए स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शित रास्ते में सीसी रोड बना हुआ है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण वर्तमान प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी सरकारी दर अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में ए से बी बिंदू से लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 66 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित, इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक रीडर/2024/341 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कि गयी । वकील प्रार्थी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थी को रास्ते हेतु 3 विकल्प दिये गये है जिसमें से प्रार्थी को सबसे उपयुक्त रास्ते का विकल्प 1 दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के पास कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता विकल्प संख्या 1 उपयुक्त होने से प्रार्थीगण को रास्ते हेत विकल्प संख्या 1 दिया जाना उचित समझते है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शीघ्र निस्तारण की भावना को मध्यनजर रखते हुए निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 289 रकबा 0.38 है0 में से 26 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई अर्थात 104 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 282 रकबा 0.54 है0 में से 18 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई अर्थात 72 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 281 रकबा 0.21 है0 में से 40 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 280 रकबा 0.23 है0 में से 30 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 60 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 279 रकबा 0.41 है0 में से 57 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 114 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 290 रकबा 0.29 है0 में से 32 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 64 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 291 रकबा 0.26 है0 में से 28 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 56 वर्गमीटर भूमि, आ0ख0नं0 292 रकबा 0.28 है0 में से 28 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 56 वर्गमीटर भूमि तथा आ0ख0नं0 276 रकबा 0.31 है0 में से 37 मीटर लम्बाई व 02 मीटर चौडाई अर्थात 74 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04/04/24 **को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।**

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर